न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण सं 64/2024

अन्तर्गत

तन्मय मेहता पुत्र सुनील कुमार मेहता जाति जैन उम्र बालिग निवासी नीमच रोड, तिलस्वा चौराहा सिंगोली जिला नीमच मध्य प्रदेश।

प्रार्थी............

बनाम

श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।

अप्रार्थी.........

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत।
अप्रार्थी:– पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक – 27.08.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम बालेछा पटवार हल्का मेघनिवास की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 11 आराजी संख्या 292/239, 294/244 कुल किता 02 कुल रकबा 0.05 है0 लगानी 0.32 पैसे जो खाते में मुझ प्रार्थी के खाते नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि उक्त कृषि आराजीयात पर मै प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूं। उक्त आराजीयात की आराजी संख्या 292/239 पर आने जाने का रास्ता ग्राम बालेछा प0ह0 मेघनिवास की खाता संख्या 01 खसरा संख्या 215/125 बिलानाम सरकार से मुल रास्ता नीमच–कोटा रोड की खसरा संख्या 94 पर जाता है उक्त रास्ते पर आराजी संख्या 215/125 पर गाडी गडार बनी हुई है, लेकिन रास्ता तरमीम नही होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। खसरा संख्या 215/125 में जो गाडी गडार बनी हुई है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी कदीवी समय से करता चला आ रहा है, उक्त रास्ता मुझ प्रार्थी के बाप दादाओं के समय से ही बना हुआ है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से आस पडौस के लोग आये दिन परेशान करते रहते है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम बालेछा की आराजी संख्या 292/239 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 215/125 बिलानाम सरकारी भूमि मे गै0मु0 रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, अप्रार्थी तहसीलदार रावतभाटा ने प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम बालेछा प0ह0 मेघनिवास के आराजी संख्या 292/239 रकबा 0.0250है0, आराजी संख्या 294/244 रकबा 0.0250है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.05है0 भूमि प्रार्थी तन्मय मेहता पुत्र श्री सुनील कुमार मेहता के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी संख्या 292/239 एवं आराजी संख्या 294/244 पर पहुंचने के लिए रास्ता दर्ज नहीं है। अतः उक्त आराजीयात पर आने जाने [illegible] प्रार्थी के ग्राम बालेछा प0ह0 मेघनिवास के आराजी संख्या 215/125 [illegible] 1.3[illegible] भूमि जो बिलानाम दर्ज रिकार्ड है, जिसमें से दक्षिणी मेड [illegible] ग्राम [illegible] प0ह0 मेघनिवास के आराजी संख्या 215/125 [illegible] है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। प्रस्तावित रास्ता सलंग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम दूरी का कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रस्तावित रास्ते में कोई कुआं व पक्का [illegible] नहीं है। इस प्रकार आराजी संख्या 215/125 में प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 28 मी. व चौडाई 5 मीटर कुल 140 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी दर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.06 17:39:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

1473492 रू प्रति हैक्टयर अथवा 147.34 रू प्रतिवर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 140 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर के हिसाब से 140X147.34=20627.60 रू बनती है, जिसका दुगुना शुल्क 20627.60X2=41256 प्रार्थी को जमा कराना होगा।

हमने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है तथा आराजी संख्या 215/125 बिलानाम सरकार भूमि में से नियमानुसार रास्ता चाहते है। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है। तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की कृषि आराजीयात पर पहुचंने के लिए आराजी संख्या 215/125 बिलानाम भूमि में से रास्ता चाहा गया है जो की बंजड बिलानाम राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि की आराजी संख्या 215/125 की चौडाई व लम्बाई 5मी.X28मी.=140 वर्गमीटर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डी एल सी रेट के हिसाब से प्रार्थी को पैसे जमा कराने होंगे जिसकी डी एल सी दर 140X147.34=20627.34 रू की दुगुनी राशि 20627.34X2=41256 रू जमा कराने होंगे। हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई न्युनतम मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम बालेछा पटवार हल्का मेघनिवास में आराजी संख्या 292/239 कुल रकबा 0.05 है0 भूमि में आने–जाने हेतु आराजी संख्या 215/125 रकबा 1.34 है0 भूमि बिलानाम सरकार मे से 140 वर्गमीटर भूमि रास्ता दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 140 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 1473492/रू. अनुसार कीमत 20627.34 रू की दुगुनी दर से राशि **41256/रू. (अक्षरे रूपये इगतालिस हजार दो सौ छप्पन रू. मात्र)** कीमतन का भुगतान बिलानाम सरकार होने से तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत राजकोष में किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू सार्वजनिक रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किया जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का भुगतान विपक्षी पेरोकार सरकार को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट रावतभाटा
उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.06 17:39:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner